

## निर्माण श्रमिकों का बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य रूप से कराया जाय

— श्री केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ : 04 अक्टूबर, 2026

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण श्रमिकों का बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य रूप से कराया जाय।

उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत 90 दिवस का कार्य पूर्ण कर चुके श्रमिकों का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW Board) में पंजीकरण कराया जा रहा है। पंजीकरण के उपरान्त श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित 17 प्रकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रदेश में अब तक 17.32 लाख श्रमिकों का बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड में पंजीकरण कराया जा चुका है।

उन्होंने निर्देश दिए कि विकसित भारत — जी राम जी के अंतर्गत जिन श्रमिकों ने 90 दिन का काम किया है, उन्हें बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड में पंजीकृत करने की कार्यवाही लगातार किया जाय और इस बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को पत्र के माध्यम से यह अवगत कराने की कार्यवाही की जाय कि उन्हें श्रम विभाग की किन-किन योजनाओं का क्या-क्या लाभ अनुमन्य है, ताकि इसकी जानकारी हासिल कर वह उन योजनाओं का लाभ हासिल कर सकें।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के सम्पादन में लगे श्रमिकों का उ०प्र० बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के सम्पादन में लगे समस्त श्रमिकों के उ०प्र० बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है, जिससे वेलफेयर बोर्ड के प्राविधानों के अनुसार श्रमिकों को लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्यों के समस्त बीजकों से 01 प्रतिशत की धनराशि की कटौती करते हुये लेबर सेस के रूप में श्रमिकों के वेलफेयर फण्ड में जमा किया जाता है, श्रमिकों के पंजीकृत होने पर वेलफेयर के मदों का लाभ श्रमिकों को प्राप्त हो पाता है। संचालित योजनाओं का लाभ हमें हर हाल में श्रमिकों को दिलाना ही है।

---

सम्पर्क सूत्र— बी०एल० यादव

राम यतन/06:52 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ई०पी०बी०एक्स०: 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं० : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : [upssoचना@gmail.com](mailto:upssoचना@gmail.com),

वेबसाइट : [www.information.up.gov.in](http://www.information.up.gov.in)